राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/शिक्षण संस्थाओ मे सुविधा विकास(213)/19-20/ 11571 दिनांक : 26/3/2021

उपायुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
प्रतापगढ।

विषय : गुलाब चंद मेवाडी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी सादडी जिला प्रतापगढ़ मे नवीन प्रयोगशाला भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।

विभागीय पत्रांक 6771-79 दिनांक 22.02.2021 द्वारा गुलाब चंद मेवाडी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटी सादडी जिला प्रतापगढ़ मे विज्ञान प्रयोगशालाओ (भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कम्प्यूटर प्रयोगशाला) के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रू. 50.00 लाख जारी कर कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (समसा) नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (समसा) से तकनीकी स्वीकृति (SE/RCSE/JAIPUR/1486/05.03.2021) प्राप्त होने से गुलाब चंद मेवाडी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटी सादडी जिला प्रतापगढ़ मे विज्ञान प्रयोगशालाओ (भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कम्प्यूटर प्रयोगशाला) के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति राशि रू. 49.27 लाख जारी की जाती है। विवरण निम्नानुसार है-

कार्य	देय राशि
सिविल कार्य	46.84
सेनेट्री	0.48
इलेक्ट्रीक वर्क	0.75
योग	**48.07**
कन्टीनजेन्सी चार्ज देय 1.50 प्रतिशत	0.72
क्वालिटि कन्ट्रोल चार्ज 1 प्रतिशत	0.48
कुल योग	**49.27**

राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-77/2018-19 द्वारा 113 विद्यालयो मे विज्ञान प्रयोगशालाओ के निर्माण हेतु प्राप्त राशि मे से स्वीकृत लागत राशि रू. 49.27 लाख की 80 प्रतिशत राशि रू. 39.32 लाख प्रथम किस्त के तौर पर अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की जाती है। कन्टीनजेन्सी चार्ज देय 1.50 प्रतिशत में से 0.25 प्रतिशत राशि रूपये 0.12 लाख प्रोजेक्ट मोनेटरिंग हेतु आयुक्तालय में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्ते-

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करे यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय-समय पर करवाया

जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करावे।

5. विभागीय अभियंताओ एवं प्लेसमेंट के माध्यम से आई.टी.डी.पी. अन्तर्गत कार्यरत अभियंताओ के माध्यम से कार्यो का निरीक्षण करवाया जावेगा।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
8. निर्माण कार्य पर टीएडी से स्वीकृत वर्ष, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, निर्माण का विवरण आदि का अंकन किया जावे।

sd

(डॉ. वृद्धि चंद गर्ग)R.A.S
अतिरिक्त आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/शिक्षण संस्थाओ मे सुविधा विकास(213)/19–20/ 1571–84 दिनांक 26/03/2021

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, प्रतापगढ।
4. अतिरिक्त निदेशक/अधीक्षण अभियंता राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् डॉ राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने राजस्थान जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद प्रतापगढ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद उदयपुर/प्रतापगढ़।
7. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–77/2018–19 द्वारा 113 विद्यालयो मे विज्ञान प्रयोगशालाओ के निर्माण हेतु प्राप्त राशि मे से स्वीकृत लागत राशि रू. 49.27 लाख की 80 प्रतिशत राशि रू. 39.32 लाख प्रथम किस्त के तौर पर अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को हस्तांतरित करावे। कन्टीनजेन्सी चार्ज देय 1.50 प्रतिशत में से 0.25 प्रतिशत राशि रूपये 0.12 लाख प्रोजेक्ट मोनेटरिंग हेतु आयुक्तालय में रखे जावे व पृथक से पुस्तांकन करे।
8. प्रभारी अधिकारी मॉनिटरिंग/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
9. प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. गुलाब चंद मेवाडी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटी सादडी जिला प्रतापगढ।
10. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in,Website www.tad.rajasthan.gov.in